



2026:AHC-LKO:20173

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 6506 वर्ष 2023

रुद्र प्रताप सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ तथा एक अन्य

....विपक्षी(गण)

आवेद(कों) के अधिवक्ता

: ध्रुव माथुर, इनाम उद्दीन अहमद, शुभम

त्रिपाठी विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, सुरेश चंद्र

शुक्ला

न्यायालय संख्या-16

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. आवेदक की ओर से श्री ध्रुव माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री शुभम त्रिपाठी तथा श्री इनाम उद्दीन अहमद द्वारा की गई, को सुना गया, तथा राज्य-विपक्षी पक्ष संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री राव नरेंद्र सिंह को भी सुना गया। तथापि, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता, पुनः पुकार किए जाने पर भी, उपस्थित नहीं हुए।

2. यह आवेदन, शिकायत वाद संख्या 3394/2019, कृष्ण लाल शर्मा बनाम रुद्र प्रताप सिंह, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 तथा 506 के अंतर्गत, थाना मडियांव, जनपद लखनऊ की संपूर्ण कार्यवाही तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, लखनऊ द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 26.06.2022 को अभिखंडित (रद्द) किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक का मामला यह है कि आवेदक तथा एक व्यक्ति श्री मुकेश शर्मा के बीच लखनऊ में स्थित एक संपत्ति से संबंधित एक व्यावसायिक लेन-देन के संबंध में, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने मुकेश शर्मा की ओर से जमानतदार के रूप में हस्ताक्षर किए थे, तथा उसने आवेदक के साथ दिनांक 10.03.2017 का एक समझौता किया था। कहा गया है कि उक्त समझौते के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.03.2017 के समझौते के माध्यम से 90,00,000/- रुपये के संबंध में सहमति बनी थी, जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अपने दायित्व को स्वीकार किया था तथा 10,00,000/- रुपये के नौ बिना तिथि के चेक देने पर सहमति दी थी, तथा वे चेक आवेदक को दे दिए गए थे, ताकि आवेदक जब भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवश्यक हो, उन्हें भुना सके। आगे कहा गया है कि तत्पश्चात आवेदक ने एक चेक प्रस्तुत किया, जो दिनांक 02.03.2019 को अस्वीकृत होकर वापस आ गया। इसके पश्चात, आवेदक ने शेष आठ चेक, जिन पर दिनांक 02.04.2019 अंकित थी, भुगतान हेतु दिनांक 02.04.2019 को एच.डी.एफ.सी. बैंक, सफदरजंग एन्क्लेव शाखा, नई दिल्ली में प्रस्तुत किए। उक्त सभी चेक एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा इस टिप्पणी के साथ अस्वीकृत होकर वापस कर दिए गए कि 'विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया है'।

4. कहा गया है कि विधिक रूप से देय ऋण का भुगतान न किए जाने के कारण, आवेदक ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "एन.आई. एक्ट") के अंतर्गत विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया आरंभ की। तत्पश्चात, आवेदक ने एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दिनांक 26.04.2019 को एक मांग सूचना जारी की, जो विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दिनांक 29.04.2019 को सम्यक रूप से प्राप्त कर ली गई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने भुगतान करने के बजाय, दिनांक 11.05.2019 को एक उत्तर भेजा, जिसमें दिनांक 26.04.2019 की विधिक सूचना में वर्णित बातों से इंकार किया गया। तत्पश्चात, आवेदक ने महानगर मजिस्ट्रेट, साकेत जिला न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत एक शिकायत प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 11981/2019 के रूप में पंजीकृत किया गया, तथा विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.07.2019 द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को समन जारी किया।

5. आगे कहा गया है कि जब विपक्षी पक्ष संख्या 2 को यह ज्ञात हुआ कि उसके विरुद्ध समन जारी किए गए हैं, तो उसने आवेदक को किसी झूठे



मामले में फंसाने तथा उस पर दबाव डालकर अपने दायित्व से बचने हेतु, लखनऊ में पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने आरंभ कर दिए। जब कुछ नहीं हुआ, तो दिनांक 22.08.2019 को विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ, लखनऊ के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाने से एक आख्या मांगी। दिनांक 25.08.2019 को संबंधित थाने ने अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन, आवेदक द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत वाद संख्या 11981/2019 प्रस्तुत किए जाने के बाद दाखिल किया गया था। तथापि, संबंधित मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का उचित उपयोग किए बिना तथा दिनांक 25.08.2019 को पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार किए बिना, आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन को शिकायत वाद के रूप में मान लिया। तत्पश्चात, दिनांक 28.03.2022 को दो साक्षियों, अर्थात् श्री ऋषि कुमार सक्सेना, जो शिकायती के पड़ोसी हैं, तथा सुश्री पुष्पा शर्मा, जो शिकायती की पत्नी हैं, के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। तत्पश्चात, संबंधित मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 26.06.2022 द्वारा आवेदक के विरुद्ध समन जारी किए।

6. आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव माथुर का कहना है कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चलाया गया मामला, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विरुद्ध निर्णीत हो चुका है तथा उसे दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 24.12.2024 तथा दण्डादेश दिनांक 01.05.2025 द्वारा



दोषी ठहराया जा चुका है, जिनकी प्रतियां प्रत्युत्तर शपथपत्र के साथ अभिलेख पर रखी गई हैं। उनका आगे कहना है कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान शिकायत तथा दांडिक मामले, दोनों के समस्त तथ्यों पर विचार किया है तथा तत्पश्चात आवेदक द्वारा एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत वाद को स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्ष संख्या 2 को उक्त निर्णय तथा दोषसिद्धि द्वारा दोषी ठहराते हुए दण्डित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय तथा दोषसिद्धि के पैराग्राफ 16 से 19 की ओर आकृष्ट किया है, जो इस प्रकार हैं:-

"16. अब, गुणावगुण के आधार पर अभियुक्त के प्रतिवाद की ओर आते हैं, अभियुक्त का मामला यह है कि अभियुक्त पर शिकायती के प्रति कोई दायित्व नहीं है तथा विवादित चेक एवं समझौता-पत्र अभियुक्त से बलपूर्वक एवं दबाव डालकर निष्पादित कराए गए थे। अब इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि दिनांक 10.03.2017 के कथित समझौता-पत्र तथा विवादित चेक अभियुक्त द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे, अतः निष्पादन स्वीकृत है तथा दस्तावेज़ भी स्वीकृत है। अभियुक्त द्वारा केवल यही प्रतिवाद लिया गया है कि वह बल तथा दबाव डालकर निष्पादित कराया गया था। अब, अभिलेख के अनुसार, अभियुक्त द्वारा शिकायती के विरुद्ध कथित रूप से दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। दूसरे, दिनांक 14.03.2017 के पत्र, अर्थात् प्रदर्श डी.डब्ल्यू.1/2, जो अभियुक्त द्वारा संबंधित बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश हेतु जारी किया गया था, में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि चेक शिकायती द्वारा बल या दबाव डालकर जारी कराए गए थे, तथा केवल यह अस्पष्ट कथन है कि चेक बलपूर्वक जारी कराए गए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. तीसरे, यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान शिकायत दिनांक 23.05.2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा विधिक मांग सूचना का उत्तर अभियुक्त की ओर से दिनांक 11.05.2019 को जारी किया गया था, अर्थात् वर्तमान शिकायत प्रस्तुत किए जाने की तिथि से केवल 12 दिन पूर्व तथा कथित घटना की तिथि के लगभग 2 वर्ष पश्चात। तथापि, उक्त उत्तर, अर्थात् प्रदर्श सी.डब्ल्यू.1/21 में, अभियुक्त द्वारा आरंभ किए गए किसी न्यायालयीन शिकायत का कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि अभियुक्त की ओर से दर्ज कराई गई एक पुलिस शिकायत का उल्लेख अवश्य है। अतः यह कहना उचित है कि कथित न्यायालयीन शिकायत, अभियुक्त द्वारा वर्ष 2019 में एक पश्च-विचार के रूप में, केवल यहां के शिकायती की ओर से प्रस्तुत शिकायत का प्रतिकार करने हेतु दाखिल किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त ने अपनी गवाही में यह कथन किया है कि चूंकि वह शिकायती से भयभीत था, इसलिए उसने घटना के तुरंत बाद न्यायालय में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, अभियुक्त का उक्त प्रतिवाद इस साधारण कारण से विश्वसनीय नहीं है कि जब एक ओर अभियुक्त का यह पक्ष है कि कथित घटना के 2 माह के भीतर ही उसके द्वारा एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो वह उसी समय में यह नहीं कह सकता कि वह न्यायालय में शिकायत आरंभ करने से भयभीत था।

"18. आगे, ऐसे कारणों से जो केवल अभियुक्त को ही ज्ञात हैं, अभियुक्त का छोटा बेटा, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह पूरी कथित घटना के दौरान अभियुक्त के साथ था, को अभियुक्त द्वारा प्रतिवाद की पुष्टि हेतु साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया। आगे, अभियुक्त का यह मामला है कि उसके पुत्र मुकेश शर्मा तथा शिकायती ने आपस में षड्यंत्र करके वर्तमान शिकायत प्रस्तुत किया है। तथापि, यह स्वीकृत तथ्य है कि यहां के शिकायती के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा दाखिल मामले में मुकेश



शर्मा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आगे, एक ओर अभियुक्त अपनी प्रति-परीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि चिट्ठन सी.डब्ल्यू. 1/1 को थाने में निष्पादित कराया गया था, तो दूसरी ओर उसने सी.डब्ल्यू. 1/शिकायती को इसके विपरीत सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, जब अभियुक्त का यह स्वीकृत पक्ष है कि समझौता-पत्र को थाने में निष्पादित कराया गया था, तथा किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी सारवान आरोप के अभाव में, उक्त पत्र को किसी कथित धमकी या दबाव में निष्पादित कराए जाने की संभावना निराकृत हो जाती है।

19. अतः, उपर्युक्त उजागर किए गए तथ्यों के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि चूंकि अभियुक्त ने समझौता-पत्र के निष्पादन तथा विवादित चेक के जारी किए जाने को स्वीकार किया है, तथा अपने प्रतिवाद को विश्वसनीय रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः यह प्रतिवाद कि चेक तथा समझौता-पत्र धमकी या दबाव में निष्पादित कराए गए थे, अस्वीकार किए जाने योग्य है।"

7. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान निर्णय तथा दोषसिद्धि दिनांक 24.12.2024 के निष्कर्ष भाग की ओर भी आकृष्ट किया है, जो इस प्रकार है:-

"निष्कर्ष"

"30. अधिनियम की धारा 139 सहपठित धारा 118 के उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय को यह मानकर चलना होका कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था। उक्त धारणा, जो खंडनीय है, को अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत सिद्ध करके खंडित किया जा सकता है। सबूत का बोझ हटाने हेतु, अभियुक्त को संभावनाओं की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकता द्वारा अपने प्रतिवाद को सिद्ध करना था, किंतु वर्तमान मामले में, अभियुक्त ऐसा करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के व्यापक अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त शिकायती के पक्ष में विद्यमान धारणा का खंडन करने में असफल रहा है तथा शिकायती द्वारा प्रस्तुत मामले पर कोई संदेह उत्पन्न करने में भी असफल रहा है।

31. यद्यपि अभियुक्त को धारणा का खंडन करने हेतु अपने प्रतिवाद के समर्थन में अपने साक्ष्य को निश्चायक रूप से सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है, किंतु उसे कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखानी होंगी या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिससे न्यायालय या तो उसके प्रतिवाद के अस्तित्व पर विश्वास करे, अथवा न्यायालय उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य समझे कि एक विवेकशील व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, उस पर विश्वास कर ले। तथापि, वर्तमान मामले में, अभियुक्त अपेक्षित मानदंड को पूरा करने में असफल रहा है। साक्ष्य का भार शिकायती पर स्थानांतरित कराने हेतु, कुछ ऐसा जो संभाव्य हो, अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है। धारणा का खंडन किए बिना, अपने मामले को सिद्ध करने का भार शिकायती पर स्थानांतरित नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 118/139 के अंतर्गत धारणाओं का खंडन करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

आदेश

32. अतः, ऊपर बताए गए कारणों से, यह न्यायालय अभियुक्त कृष्ण लाल शर्मा को संबंधित चेकों के मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु दोषी ठहराता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 01.05.2025 को दंड की मात्रा के संबंध में पारित आदेश की ओर भी दिलाया है, जो निम्नानुसार है:-

"उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दोषी के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, दोषी को रु.1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) का जुर्माना अदा करने की सज़ा दी जाती है। इस जुर्माने की राशि में ब्याज का भाग तथा वाद-व्यय दोनों सम्मिलित हैं। यह जुर्माना राशि शिकायती को प्रतिकर के रूप में देय होगी। जुर्माने की राशि अदा न करने की दशा में, दोषी को 4 माह के साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।"

9. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह निवेदन है कि यह ऐसा मामला है, जिसमें न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि प्रतिशोध तथा जवाबी हमले के रूप में, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा घटना की तिथि के दो वर्ष पश्चात वर्तमान शिकायत प्रस्तुत किया गया, क्योंकि शिकायत में ही घटना की तिथि दिनांक 10.03.2017 बताई गई है, जबकि शिकायत अगस्त, 2019 में प्रस्तुत किया गया है। उनका आगे कहना है कि इस बात से इंकार नहीं किया गया कि चेक जारी नहीं किए गए थे, तथा यह न्यायालय निश्चित रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि केवल असदभावपूर्ण आशय के कारण ही वर्तमान शिकायत प्रस्तुत किया गया है, अन्यथा पक्षकारों के बीच दायित्व का निर्वहन हो चुका है, और इसीलिए विचारण न्यायालय ने विस्तृत निष्कर्ष देते हुए विपक्षी पक्ष संख्या 2 को एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। यह निवेदन किया गया है कि दोषसिद्धि तथा दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे दिनांक 23.05.2025 को स्वीकार कर लिया गया है तथा केवल दण्ड पर रोक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(स्थगन) लगाई गई है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. *हरियाणा राज्य तथा अन्य बनाम भजनलाल तथा अन्य, 1992* पूरक

(1) एससीसी 335;

2. *हसमुखलाल डी. वोरा बनाम तमिलनाडु राज्य, 2022* एससीसी

ऑनलाइन एससी 1732;

3. *फिओना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य, (2013) 14* एससीसी

44;

4. *जिया लाल बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा अन्य,*

(2023) एससीसी ऑनलाइन जम्मू व कश्मीर 76;

5. *मानिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य , (2015) 7* एससीसी 423; और

6. *पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5*

एससीसी 749

10. श्री ध्रुव माथुर, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।

11. *भजनलाल (उपरोक्त)* के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां कोई दांडिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से असदभावना से युक्त हो और/अथवा जहां वह कार्यवाही किसी प्रतिशोध लेने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से द्वेषपूर्ण ढंग से आरंभ की गई हो, तो उसे अभिखंडित (रद्द) किया जा सकता है। उक्त निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसी ही परिस्थिति से निपटते हुए, दृष्टान्त स्वरूप मामलों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें न्यायालय, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु, अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 102, विशेषतः अनुच्छेद 102(7), इस प्रकार है:-

"102. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV के विभिन्न सुसंगत उपबंधों के व्याख्या की पृष्ठभूमि में, तथा इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित विधि के जो सिद्धांत निर्णयों की एक शृंखला में प्रतिपादित किए गए हैं, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत तथा पुनरुत्पादित किया है, हमने दृष्टान्त स्वरूप मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु, अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है, यद्यपि किसी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित एवं सटीक दिशा-निर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना, तथा ऐसे विविध प्रकार के मामलों की एक संपूर्ण सूची देना, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, संभव नहीं हो सकता है।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अपने अंकित रूप में लिया जाए तथा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तब भी प्रथमदृष्ट्या अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं करते अथवा कोई मामला नहीं बनाते।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा उसके साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते, जो संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त, संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहरा सके।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए अखंडित आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य, किसी अपराध का कारित होना प्रकट नहीं करते तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप कोई संज्ञेय अपराध गठित न करके केवल एक असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच करने की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके तथा स्वतः असंभाव्य हैं, कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह उचित निष्कर्ष कभी नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

(6) जहां संहिता के किसी उपबंध अथवा संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत दांडिक कार्यवाही आरंभ की गई है) में किसी कार्यवाही के आरंभ तथा उसके जारी रहने पर कोई अभिव्यक्त विधिक रोक अंतर्निहित है, और/अथवा जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्षकार की शिकायत हेतु किसी प्रभावकारी उपचार का कोई विशिष्ट उपबंध विद्यमान है।

(7) जहां कोई दांडिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से असदभावना से युक्त है, और/अथवा जहां वह कार्यवाही, अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के तथा निजी एवं वैयक्तिक द्वेष के कारण उसे कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से, किसी छिपे हुए उद्देश्य से द्वेषपूर्ण ढंग से आरंभ की गई है। (बल दिया गया)।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *हसमुखलाल डी. वोरा* (उपरोक्त) के मामले में, कार्यवाही आरंभ करने में हुए अत्यधिक विलंब के प्रश्न पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अत्यधिक विलंब स्वयं में किसी दांडिक शिकायत को रद्द करने का कोई आधार नहीं हो सकता, तथापि ऐसे मामलों में, इतनी लंबी अवधि का अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब, किसी दांडिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक मानकर विचार में लिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने *बिजॉय सिंह बनाम राज्य बिहार*, (2002) 9 एससीसी 147 के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है:-

"24. प्रारंभिक जांच तथा शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बीच चार वर्ष से अधिक का अंतराल है, तथा इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, शिकायत में लगाए गए दावों की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *बिजॉय सिंह तथा अन्य बनाम राज्य बिहार* में अभिनिर्धारित किया गया है, अत्यधिक विलंब, यदि उसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण न हो, तो वह अभियोजन के मामले के लिए घातक हो सकता है। उक्त निर्णय का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है:-

"जहां कहीं भी विलंब पाया जाए, उसका स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। यदि विलंब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, किंतु विलंब का स्पष्टीकरण देने में असफलता, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन के संस्करण की सूक्ष्मता से जांच करने की अपेक्षा करेगी कि क्या कोई निर्दोष व्यक्ति अपराध में फंसाया गया है अथवा नहीं। अभियुक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर यह अपेक्षा करना कि वह विलंब का स्पष्टीकरण मांगे, विधि की अपेक्षा नहीं है। विलंब का स्पष्टीकरण देना सदैव अभियोजन का ही कार्य है, तथा यदि युक्तियुक्त, विश्वसनीय एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।"

26. यद्यपि अत्यधिक विलंब स्वयं में किसी दांडिक शिकायत को रद्द करने का कोई आधार नहीं हो सकता, तथापि ऐसे मामलों में, इतनी लंबी अवधि का अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब, किसी दांडिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक मानकर विचार में लिया जाना चाहिए।"

13. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि किसी दांडिक मामले में अभियुक्त को समन जारी किया जाना एक गंभीर विषय है तथा दंड विधि को केवल एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में शुरू नहीं किया जा सकता, उक्त निर्णय का सुसंगत पैराग्राफ इस प्रकार है:-

"28. किसी दांडिक मामले में अभियुक्त को समन जारी किया जाना एक गंभीर विषय है। दंड विधि को केवल एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में शुरू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि शिकायती को दंड विधि शुरू कराने हेतु केवल दो साक्षी लाकर अपने शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करना है। अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश यह दर्शाना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों तथा उस पर लागू विधि पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा उनके समर्थन में मौखिक व दस्तावेज़ी, दोनों प्रकार के साक्ष्य की जांच करनी है, तथा यह देखना है कि क्या यह शिकायती के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त पर आरोप सिद्ध कराने में सफल होने हेतु पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को समन किए जाने से पूर्व प्रारंभिक साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के समय मजिस्ट्रेट एक मूक दर्शक मात्र है। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी है तथा वह स्वयं भी शिकायती तथा उसके साक्षियों से प्रश्न पूछकर, आरोपों की सत्यता अथवा अन्यथा का पता लगाने हेतु उत्तर प्राप्त कर सकता है, तथा तत्पश्चात यह परीक्षण कर सकता है कि क्या सभी अथवा किसी अभियुक्त द्वारा प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध कारित किया गया है।"

14. अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय यह पाता है कि वर्तमान शिकायत, आवेदक द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित मामले का एक जवाबी हमला मात्र है, क्योंकि यह उसे एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत सूचना तामील किए जाने के पश्चात ही प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी पक्ष संख्या 2, अपना निजी हिसाब बराबर करना चाहता था, और इसीलिए उसने इस आशा के साथ वर्तमान शिकायत प्रस्तुत किया कि शायद पक्षकारों के बीच कोई समझौता हो जाए। अतः, अभिलेख के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान शिकायत विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा असदभावपूर्ण आशय से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का मामला, भजनलाल तथा पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णयों द्वारा आच्छादित है, अतः वर्तमान कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य है तथा रद्द किए जाने योग्य है।

15. आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है तथा शिकायत वाद संख्या 3394/2019, कृष्ण लाल शर्मा बनाम रुद्र प्रताप सिंह, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 तथा 506 के अंतर्गत, थाना मडियांव, जनपद लखनऊ की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संपूर्ण कार्यवाही तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, लखनऊ द्वारा पारित
समन आदेश दिनांक 26.06.2022, जहां तक यह आवेदक से संबंधित है,
इसके द्वारा अभिखंडित (रद्द) किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति बृजराज सिंह)

19 मार्च 2026

राव/-

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।